राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/277 दिनांक : 20/07/19

–: परिपत्र :–

यह देखा गया हैं कि स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद चिकित्सकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाता हैं, जिसमें उन्हें माननीय न्यायालयों/ट्रिब्यूनल में जाकर स्टे प्राप्त करने का समय मिल जाता हैं। अतः निर्देशित किया जाता हैं कि स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होते ही संबंधित को तुरन्त कार्यमुक्त करें तथा प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें। स्थानान्तरण पर चिकित्सकों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावें, फिर भी यदि चिकित्सक स्थानान्तरण आदेश प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में उसके स्थानीय निवास पर चस्पा करवाया जावें। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्टे प्राप्त होता है तो प्रथमतः आदेश जारी करने वाले प्राधीकारी से निर्देश प्राप्त करें।

स्थानान्तरित अधिकारी को समय पर कार्यमुक्त करने के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगें और संबंधित चिकित्सक की सेवापुस्तिका मय स्थायी पते के कार्यमुक्त करते ही संबंधित नियंत्रण अधिकारी जिनके अधीन स्थानान्तरण पर पदस्थापन किया गया हैं को प्रेषित करेंगें और अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही करने की जिम्मेवारी उनकी होगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/277 दिनांक : 20/07/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन0आर0एच0एम0/आर0एच0एस0डी0पी0/निदेशक, आई0ई0सी0।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, आर0सी0एच/एड्स/ई0एस0आई0।
6. अति0 निदेशक, राजपत्रित/प्रशासन/आर0सी0एच0/ग्रामीण स्वास्थ्य/चिकित्सा प्रशासन/आई0ई0सी0।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. समस्त डिलींग सहायक, निदेशालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

13/7/19